

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
**सार्वजनिक सूचना सं. 10/2023**  
नई दिल्ली, दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र को अधिसूचित करते हैं। अद्यतित परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र एतद्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

संतोष कुमार सारंगी  
26.4.2023  
(संतोष कुमार सारंगी)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

[फा. सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी प्रकोष्ठ से जारी]